RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

महाराष्ट्र के मेलघाट (अमरावती) के आदिवासी कोरकू जमात की पारिवारिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]डॉ. संकेत सुरेशराव काल; [2]रोहित रामसिंह येवतीकर

[1]शोध निर्देशक श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझनूं, राजस्थान
[2]शोधार्थी श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझनूं, राजस्थान

प्रस्तावना

भारत को आजादी मिले 73 वर्ष हो गए हैं देश ने लगभग सभी क्षेत्र में शानदार प्रगति की है इससे देश की सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक विशेषताओं में बदलाव हुआ है. विकास प्रक्रिया के कारण देश में विभिन्न जाति, जनजाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इस विकास से कुछ दूर रहे, दुर्गम पर्वतीय इलाकों के आदिवासी समाज आज भी परम्परागत प्रणाली से जीवन यापन करता दिखाई दे रहा है ऐसे आदिवासी समाज का परिचय इस तरह किया गया है।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

आदिवासी देश का आदि पुरूष है. उनकी जीवन प्रणाली और संस्कृति स्वयं की है उनकी कला, सभ्यता और समाज धर्म उनका है. अज्ञान, गरीबी और अंधश्रद्धा से युक्त आदिवासी श्रमसारथी है। विश्व के व्यवहार में अद्वैत और अलौकिक शक्ति रहती है, इस तरह उनका विश्वास है. मौखिक परम्परा से हुए उनके साहित्य इन्सान और प्रकृति विषय पर कौतुहल जागृत करते हैं भूमिपुत्र के इस साहित्य ने भारतीय साहित्य को समृद्धि का स्पर्श दिया है इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है हिन्दुस्तान में आर्यों का आगमन होने के पहले आदिवासी इस देश के मूल निवासी थे इस भूमि के आदिपुत्र थे. उनके बडे–बडे राज्य थे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वज्ञान था नियम था, उनके नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर सजा दी जाती थी आदिवासियों की विकसित बोलीभाषा थी और इस बोली भाषा मैं लिपिबद्ध साहित्य भी था। कुल मिलाकर आदिवासियों का जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध तथा अग्रेसर था। अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली देश का कामकाज चलाने के लिए संविधान तैयार किया गया भारतीय संविधान में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिऐ विशेष सुविधा–रियायतों का प्रावधान किया गया मानवीय दृष्टिकोण से प्रबोधन का आंदोलन शुरू हो गया और आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की बात शुरू हुई।

आदिवासी–संज्ञा

1) वनवासी– अर्धनग्न रहकर लंगोटी पहनकर शिकार करने के लिए जंगलों में भटकने के कारण वनवासी अथवा वन्यजनजाति के रूप में इनकी पहचान है।
2) आरण्यक– उपहास से लंगोट्या।
3) धरती के पुत्र– सहानुभूति से है।
4) गिरीजन–गिरी–कंदराओं में सैकडों साल रहने के कारण आदिपुत्र अथवा वनपुत्र भी कहा जाता है।
5) जंगल के अनभिषिक्त राजा के रूप में भी इनका उल्लेख होता है।
6) मूल निवासी–आदिवासियों के कैवारी पूज्य ठक्कर बाप्पा तथा महात्मा गांधी ने व्यक्त किया।
7) आदिम– डॉ. भाऊ मांडवकर, डॉ. गोविंद गारे ने वन्य जनजाति के लिए उपयोग में लाया गया शब्द।
8) जंगल के राजा–सुख्यात समाजसेविका सौ. कुसुम नारगोलकर, श्याम नारगोलकर ने जंगल का राजा कहा है।
9) अब्ओरिजनल– पश्चिमी विद्वानों ने कहा है।
10) सो–कॉल्ड अबओरिजनेस–डॉ. धुर्वे ने कहा है (मूल निवासी)।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने भारतीय संविधान में कहा है शैड्यूल्ड ट्राइबआदिवासी किसे कहें, इस बारे में जानकारी उक्त विभिन्न संज्ञा से दिखाई देती है प्रमुखता से नागर संस्कृति से दूर और अलिप्त रहे दूर–दुर्गम व पर्वतीय प्रदेश के निवासी यानी आदिवासी ऐसा आमतौर पर कहा जा सकता है। आमतौर पर जंगल के दुर्गम इलाकों में सुसंस्कृत समाज से दूर रहने वाले प्रदेश में आदिवासी यह छोटी बस्तियां बनाते हुए रहता हैं। नागरी संस्कृति के वर्ग श्रेणी बद्ध समाज का संपर्क न होने के कारण विशेष परम्परा तथा संस्कृति आदिवासियौं में दिखाई देती है अर्थात विश्व के सभी आदिवासी उस प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। कई नागरी संस्कृति सामने आयी है लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं होने के कारण उनमें हजारों वर्षों में भी विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। भारत लोकतांत्रिक देश है। आजादी मिलने के बाद भारतीय राज्य घटना यानी संविधान को ही मापदंड मानते हुए भारत प्रगति पथ पर

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अग्रसर है। शायनिंग इंडिया भारतीयों का सपना है. इक्कीसवीं सदी में पूरा संसार कम्प्यूटराइज होते समय भारत भी कहीं भी पीछे नहीं है आधुनिकीकरण तथा तकनीकी क्षेत्र में देश की तेजी से प्रगति जारी है. इसीलिए भारत में हरित क्रांति, धवल क्रांति, नील क्रांति, पीत क्रांति के बाद अब मोबाइल क्रांति दिखाई दे रही है भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है. प्रा. वी.बी. पाटिल के मुताबिक–पहली पंचवार्षिक योजना की शुरूवात हुई, उस समय यानी 1951 में देश की कुल आबादी में से 82.7 फीसदी लोग ग्रामीण समाज यानी गांवों में निवास करने वाले थे। वास्तविक यानी बढती आबादी के साथ ही गांवों में खेती पर भी भार बढ रहा है यही कारण है कि कामधंधे की तलाश में गांव से भारी संख्या में लोगों का शहर स्थलांतर हो रहा है। भारत में विभिन्न जाति ,धर्म, पंथ के लोग आत्मीयता तथा प्रेम से रहते हैं। भारतीय समाज रा.ज.लोटे के मुताबिक ‘‘समाज यानी समूह में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है’’ गुरूनाथ नाडगोडें के मुताबिक ‘‘समाज एक प्रकार की व्यवस्था रहती है व समाज के हिस्से एक–दूसरे से जुडे तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. इस व्यवस्था के कारण ही समाज में स्थैर्य तथा सुसंगति टिक कर रहती है.’’ आदिवासी समाज प्रमुखता से जंगल, पहाडों, दुर्गम गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। शहरी क्षेत्र मे काम के लिए गए आदिवासियों की संख्या अल्यल्प दिखाई देती है। भारतीय समाज को बहुत साल पहले सिंधु संस्कृति थी उस समय भारत में जाति और धर्म नामक किसी संस्था के अस्तित्व में रहने का कोई सबूत नहीं है उस समय मिले अवशेषों से सिंधु संस्कृति के लोग प्रकृति पूजक थे और अत्यंत शांति से जीवन व्यतीत करते थे। यही बात पता चलती है. इससे सिंधु संस्कृति के लोग और आदिवासियों में समानता मिलती है उस समय सिंधु संस्कृति में किसी भी प्रकार के भेदाभाव की संरचना भारतीय समाज में नहीं थी इसीलिए उनका जीवन शातं दिखाई देता है. लेकिन बाद में आर्य आए उन्होंने भारत पर प्रभुत्व प्राप्त किया. यहां की संस्कृति में बदलाव होने लगा. आर्यों ने वेद निर्माण किया वेदों से वर्ण की निर्मिती हुई और वर्णों के बाद जात की निर्मिती हुई इससे गांवों की सरंचना बदली. उच्च वर्णीय तथा निम्नवर्णीय वर्ग तैयार हो गया. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के रूप में संरचना तैयार हो गयी लेकिन पहले से ही भारत में रहने वाली आदिम जनजाति इन चारों ही वर्णों से नहीं मिल पायी उन्होंने अपनी अस्मिता, सस्कृति तथा परम्पराओं का जतन किया. वे आर्यों से दूर, उनकी वस्तियों से दूर जंगल, पहाडों में दुर्गम क्षेत्रों में रहना शुरू किया उत्तर भारत में गंगा–यमुना नदियों के किनारे सुपीक प्रदेश में आर्यों के इलाके बढे. तब यह आदिवासी जनजाति याने पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में तथा दक्षिण में जंगलों में आश्रय लेकर रहना शुरू किया। कुछ आदिवासी गांवों में आश्रय लेकर वे ग्रामीण हो गए. लेकिन उनके गांव दुर्गम जंगलों, पहाडों में ही हैं. कुछ आदिवासी जनजातियां आज भी जंगलों तथा पहाडों में भटकने वाला जीवन जीते दिखाई दे रहे हैं. वर्ण व्यवस्था में अलिप्त आदिवासी वर्ग अलग क्यों पहचाना जाता है ? उनका रहन–सहन, परम्पराएं, रूढियां अलग रहने से वे अलग ही पहचाने जाते हैं उनके इसी अलगता का अध्ययन अलग से करना अभिप्रेत है। शहरी क्षेत्र में काम के लिए गया आदिवासी आज भी अपने रहन–सहन से अलग पहचाना जाता है. उनकी संकोची वृत्ति या समूह में रहकर भी अलिप्त परम्परा का पालन करते वे दिखाई देते हैं। भारतीय समाज की असली परम्परा तथा रूढियां इन अनुसूचित जनजाति में दिखाई देती हैं आदिवासियों के आधुनिक भारतीय समाज में स्थान का भी अध्ययन करना आवश्यक है।

डॉ. डी. एस. बघेल लिखते है कि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही परिवार का सदस्य बन जाता है और अपने जीवन के अंतिम समय तक वह किसी न किसी रूप में परिवार का सदस्य हो जाता है। परिवार वह महत्वपूर्ण संस्था है जो मानव समाज की विरासत की रक्षा करता है और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करने में मदद करता है। इसके अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मोनिका भण्डारी, परिवार उन व्यक्तियों के समूह है जिनके पारस्परिक संबंध रक्त पर आधारित होते है और जो इसलिए एक–दूसरे के स्वजन है।

डॉ. एम. एम. लवानिया के अनुसार परिवार संपूर्ण मानव समाज की आधारशिला है। यह मानव समाज का इतिहास है क्योंकि साँस्कृतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर इसका किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है और संभवतः एक ही प्रथम परिवार से इस समस्त मानव जाति का विस्तार हुआ है। परिवार समाज की विद्यमानता और समाज की निरन्तरता के लिए अनिवार्य है। परिवार के माध्यम से संतति उत्पन्न कर वंश को सुरक्षित रखते है। परिवार में प्रायः पति–पत्नि, बच्चे, माता–पिता, भाई–बहन, एवं रक्त संबंधित व्यक्ति आते है। छोटे परिवार में पति–पत्नि और बच्चे होते है। अन्य समाजों की तरह ही कोरकू समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है। कोरकू समाज पुरूष प्रधान समाज है जहाँ परिवार के पुरूष के नाम पर परिवार की वंशावली चलती है अर्थात् कोरकू समाज पितृसत्तात्मक होते है। इनके परिवार का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है उसके हाथ में पूरे परिवार की बागडोर होती है कोई भी कार्य उसकी सहमति के बिना नहीं होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य मुखिया के फैसले से सहमत होता है। प्रत्येक सदस्य मुखिया का आदर–सम्मान करते है। कोरकू समाज में मुखिया की स्थिति सामान्य होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। फिर चाहे वह पति–पत्नि का संबंध हो या फिर बच्चों के साथ, वे हमेशा एक–दूसरे की बात मानते है। कोरकू समाज में दो तरह के परिवार होते है– 1. संयुक्त परिवार। 2. एकांकी परिवार। शोध क्षेत्र में पाया गया कि कोरकू जनजाति अधिकतर संयुक्त परिवार में रहना पसंद

करती है, जिसमें पति–पत्नि, बच्चे, एवं अन्य सभी रक्त संबंधी रिश्ते होते है। एक–दूसरे के साथ आदर भाव पूर्ण व्यवहार करते है। कुछ कोरकू समाज में एकाकी परिवार भी पाये गये है जिसमें पति–पत्नि और उनके बच्चे होते है। लड़कियां विवाह के पश्चात् अपने ससुराल चली जाती है, लड़का विवाह करके अपनी नयी गृहस्थी बसा लेता है। वह अपने पिता के घर से थोड़ी दूरी पर अपना घर बना लेता है और अपने नये परिवार के साथ वहा रहने लगता है। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, कई व्यक्ति मिलकर एक परिवार का निर्माण करते है जिसमें उनकी अहम् भूमिका होती है। परिवार में माँ का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वह बच्चे की प्रथम गुरू और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जहाँ बच्चा कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके अभाव में किसी भी व्यक्ति के सामाजिक होने की कल्पना करना व्यर्थ है।

स्त्रियों की स्थिति – कोरकू समाज में स्त्रियों की स्थिति सामान्य पायी गयी है। इनमें किसी प्रकार का कोई लिंगभेद नहीं किया जाता है। प्रत्येक सामाजिक या धार्मिक कार्यों में स्त्रियों का परामर्श लिया जाता है। कोरकू जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत कम है, किन्तु कोरकू समाजों में दहेज प्रथा के नाम पर वधू मूल्य दिया जाता है। जिसमें 26 लड़के वाले लड़की वालों को तय की गयी राशि या अन्य सामग्री देता है। इनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। कोरकू समाज में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घर के कार्यों तथा धार्मिक, सामाजिक परम्पराओं में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन पर घर गृहस्थी के कामों के साथ–साथ बच्चों को संभालना, उनका लालन–पालन करने की जिम्मेदारी भी होती है। कोरकू महिलाएँ बहुत मेहनती और कर्मठ होती है घर गृहस्थी के कामों से लेकर खेत–खलिहान, और मजदूरी तक के सारे कामों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देती है।

विवाह – परिवार निर्माण का मुख्य आधार विवाह है। बिना विवाह किये सामाजिक तौर पर परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है। विवाह एक ऐसा रिवाज है जो सदियों से चला आ रहा है और सामाजिक तौर पर एक स्त्री–पुरूष को अपना परिवार आगे बढ़ी–लिखी कोरकू जनजाति में प्रेम विवाह भी देखने को मिलते है। लड़का और लड़की अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनते है। इस तरह के विवाह में घरवालों की मर्जी शामिल नहीं होती है वे भागकर किसी अन्य जगह विवाह कर लेते है और वही बस जाते है। प्रेम विवाह कोरकू जनजाति में बहुत कम देखने को मिलते है। इनमें सामाज व परिवार वालों की रजामंदी से विवाह करने से जीवन में खुशियां आती है वे हमेशा उनका साथ देते है इसलिए इनमें सामाजिक रीति–रिवाज से किये गये विवाह का प्रचलन अधिक है। डॉ. कपिल तिवारी के अनुसार, कोरकू जनजाति में विवाह की मुख्य चार प्रथाएं प्रचलित है– (1) लमझना या घर दामाद विवाह प्रथा। (2) चिथौड़ा विवाह प्रथा। (3) राजी–बाजी विवाह प्रथा। (4) तलाक या विधवा विवाह प्रथा।

लमझना विवाह प्रथा में लड़की का पिता गाँव–गाँव जाकर लड़की के लिए योग्य वर ढूंना कहते है। लड़के का हिदायत दी जाती है कि वह एक साल के अंदर लड़की को गर्भवती कर दे अन्यथा उसे भगा दिया जायेगा। अगर वह लड़की को गर्भवती कर देता है तो ससुराल वाले जाति भोज देकर उनका विवाह करा दिया जाता है। यह प्रथा गरीब कोरकुओं में अधिक प्रचलित है।

चिथौड़ा विवाह प्रथा में गाँव का पटेल गाँव से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की वालों के यहाँ भेजता है, इन दोनों व्यक्तियों को ही चिथौड़ा कहा जाता है। इसलिए इसे चिथौड़ा विवाह कहा जाता है। राजी–बाजी विवाह प्रथा में लड़का और लड़की अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनते है ये किसी विशेष पर्व–त्यौहार या मेले के समय एक–दूसरे को देखते है पसंद आने पर वे एक–दूसरे के साथ अपने किसी रिष्तेदार के यहाँ भाग जाते है उनके घरवाले उन्हे पढ़ीं–लिखी न होने के कारण शासकीय शैक्षणिक नीतियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इस कारण इनके बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक संबंधित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, और ये उन्हें प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करते है। इनके बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि कम पायी जाती हैं। जिससे ये नियमित विद्यालय भी नहीं जाते है और दूर दराज गाँव में विद्यायल होने के कारण शिक्षक भी नियमित विद्यालय नहीं आते है और आते भी है तो शिक्षण कार्य नहीं होता है। सरकार ने इनके शैक्षणिक विकास के लिये कई शैक्षणिक योजनाएँ जैसे मध्यान भोजन, छात्रवृति, आँगनबाड़ी केन्द्र आवश्यक सामग्री आदि उपलब्ध तो कराये है किन्तु ये इन तक नहीं पहुँच पाती है। इससे उचित शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रहा है। इनमें शिक्षा का स्तर निम्न पाया गया है। अतः अधिकांश कोरकू जनजाति आज भी अशिक्षा से अंधकार भरा जीवन व्यतीत कर रही है और उच्च वर्ग द्वारा शोषण का शिकार हो रहे है। इसके साथ ही इनके शोषण का मुख्य कारण ही इनका अशिक्षित होना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अशोक कुमार एच. (2015), ''सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटस् आफ दी जेन्यू क्रीबेस इन मायसोर डिस्ट्रीक्ट कर्नाटका'', इम्पॅक्ट इंटरनेशनल जरनल आफ रिसर्च इन ह्यूमॅनिटीज् आर्टस् एण्ड लिट्रेचर, वोल्यूम 3, नं. 5, पेज संख्या 118, आयएसएसएन–2347–4564.

2. के.टी. गिथा, मालाविर्झी वी. (2015), ''सोशियो इकॉनॉमिक कंडीशन्स ॲण्ड क्वॉलिटी आफ लाइफ आफ सिलेक्टेड ट्राइब इन दी निलिगिरीज् डिस्ट्रीक्ट'', इंटरनेशनल जरनल इन मॅनेजमेंट एण्ड सोशल सायन्स, वोल्यूम 03, नं. 02, पेज संख्या 697, आयएसएसएन–2321–1784.
3. देबजानी राय (2012), ''सोशीयो इकॉनॉमिक स्टेटस् आफ श्येड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड'', इंडियन जरनल आफ स्पाटीयल सायन्स, वोल्यूम 30, पेज संख्या 26–34, आयएसएसएन–2249–3921.
4. पल्लवी एस. कुसुगल, नागाराजा एस. (2013), ''इकॉनॉमिक स्टेटस् आफ ट्रायबल वूमन : ए केस स्टडी'', इंटरनेशनल जरनल आफ साइंटीफिक रिसर्च, वोल्यूम 02, इश्यू 2, आयएसएसएन–2277–8179.
5. बी.एस. रुपनावर, स्नेहा जी. उपाध्ये (2016), ''ए स्टडी आफ टनेडस् आफ एसएचजीस् कर्जत तालुका रायगड डिस्ट्रीक्ट, महाराष्ट्र'', इंटरनेशनल जरनल आफ कॉमर्स एण्ड मैनेजमेंट रिसर्च, वोल्यूम 02, इश्यू 2, पेज संख्या 24, 26, आयएसएसएन–2455–1627.
6. ओएबसिस मोडंल (2014), ''रोल आफ बैगा वूमन इन फॅमिली डिसीजन मेंकिग : ए केस स्टडी आफ टू ट्रायबल विलेजेस आफ संट्रेल इंडिया'', गोलडन रिसर्च थॉट, वोल्यूम 03, इश्यू –9, आयएसएसएन–2239–5063.

RRIJM 2015, All Rights Reserved